रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 1970/अग्रहायण 19, 1892

No. 203] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 1970/AGRAHAYANA 19, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 10th December 1970

SUBJECT.—*Import from U.S.A. under U.S. AID commodity Programme Assistance—Revalidation of licences issued under (i) U.S. AID Loan No. 386-H-176/184 and (ii) U.S. AID Loan No. 386-H-196.*

No. 179-ITC(PN)/70.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 76-ITC(PN)/70, dated the 28th May, 1970 issued on the above mentioned subject.

2. Following signing of the new AID non-project loan agreement (Loan No. 386-H-207), the question of further revalidation of import licences has been considered and it has been decided that licences issued on or after 1st January, 1970 may be revalidated on a request, upto fifteen months from the date of issue of the licence or 31st March, 1972 (exclusive of the usual one month grace period), whichever is earlier. This revalidation will, however, be admissible only if the authorisation letters for opening letters of credit issued by the Ministry of Finance

against the licences are exclusively under Loan No. 386-H-207, or where the importer certifies that no authorisation letter for opening letter of credit has been applied for or obtained in respect of any portion of the licence. The payments to U.S. suppliers should be finalised within thirty days from the date of shipment.

3. Importers holding AID licences issued on or after 1st January, 1970, seeking revalidation, should apply direct to the licensing authority concerned for extension in the validity period admissible in terms of this Public Notice. The request may be accompanied by true copies of all authorisation letters issued by the Ministry of Finance against the licence, or the importer's certificate referred to above, as the case may be.

4. Importers already holding letter-of-credit-authorisations under AID Loan No. 386-H-207 should apply to the Ministry of Finance for corresponding extension in the authorisations, with a letter, where necessary, from the bank which furnished the relative guarantee, extending the basic validity of the guarantee upto one month beyond the last date permissible for finalisation of payments.

R. J. REBELLO,

Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मन्त्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियन्त्रण

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1970

विषय:—संयुक्त राज्य ए०आई०डी० पण्यवस्तु कार्यक्रम सहयोग के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका से आयात—(1) संयुक्त राज्य ए०आई०डी० ऋण संख्या 386—एच—176/184 और (2) संयुक्त राज्य ए०आई०डी० ऋण संख्या 386 एच—196 के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंस का पुनर्वैधीकरण।

सं० 179 आई० टी० सी० (पी० एन०)/70:—उपर्युक्त विषय पर विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना संख्या 76—आईटीसी (पीएन)/70 दिनांक 28 मई, 1970 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. नये ए० आई० डी० गैर परियोजना ऋण करार (ऋण संख्या 386-एच—207) को हस्ताक्षरीकरण के पश्चात् आयात लाइसेंसों के और पुनर्वैधीकरण के प्रश्न पर विचार किया गया है और यह निश्चय किया गया है कि 1 जनवरी, 1970 को या उसके बाद जो लाइसेंस जारी किए गए हैं अनुरोध किए जाने पर लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 15 महीने तक या 31 मार्च, 1972 तक (एक महीने की सामान्य रियायती अवधि को छोड़कर) जो भी पहले हो, पुनर्वैध हो सकती हैं। लेकिन, यह पुनर्वैधीकरण केवल तभी स्वीकार्य होगी यदि इस लाइसेंस के लिए साख—पत्र खोले जाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण—पत्र पूर्णतया इस ऋण संख्या 386-एच—207 के अन्तर्गत हैं और जब आयातक यह प्रमाणित कर देता है कि साख-पत्र खोलनेके लिए प्राधिकरण-पत्र के लिए आवेदन नहीं किया गया है या लाइसेंस के किसी अंश के लिए इसे प्राप्त नहीं किया गया है। यू०एस० संभरकों को भुगतान का निश्चयकरण जहाज लदान की तारीख से 30 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए।

3. जिन आयातकों के पास पहली जनवरी, 1970 को या इसके बाद के जारी किए गए लाइसेंस हैं और व उनका पुनर्वैधीकरण कराना चाहते हैं, तो उन्हें इस सार्वजानिक सूचना की शर्तों के अन्तर्गत पुनर्वैधीकरण के लिए स्वीकार्य अवधि वृद्धि के लिए सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी को सीधे ही आवेदन करना चाहिए। आवेदन पत्र लाइसेंस के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी प्राधिकरण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियों के साथ या उपर्युक्त उल्लिखित आयातकों के प्रमाण-पत्र के साथ जैसा भी मामला हो प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

4. जिन आयातकों के पास ए०आई०डी० ऋण संख्या 386-एच-207 के अन्तर्गत साख–प्राधिकरण पत्र पहले से ही है, तो उन्हें प्राधिकरण के भीतर सम्बन्धित वृद्धि के लिए, जहाँ आवश्यक हो, जिस बैंक ने सम्बन्धित गारंटी भेजी थी, उससे प्राप्त एक ऐसे पत्र के साथ, जो भुगतान का निपटारा कराने के लिए एक माह की अन्तिम स्वीकार्य अवधि के परे भी गारंटी की वैधता को बढ़ाते हुए हो, वित्त मंत्रालय को आवेदन करना चाहिए।

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970